श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीया उपसभापति जी, मल्होत्रा जी ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मैं अपनी ओर से, अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से देश के इन खिलाड़ियों को धन्यवाद दे रहा हूं और उनको बधाई दे रहा हूं क्योंकि इससे देश का सम्मान बढ़ा है। मैं चाहूंगा कि भविष्य के लिए सरकार को और बहुत अच्छी तैयारी करानी चाहिए ताकि खेलों में हमारे देश का सम्मान और बढ़े।

उपसभापति: आप सब लोगों की तरफ से, जो लोग नहीं बोल सके हैं उनकी तरफ से, पूरे सदन की तरफ से, सारी पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से, एक-एक सदस्य की तरफ से, मैं उनको मुबारकवाद देती हूं और इसके साथ ही यह आशा करती हूं कि अभी तो सात गोल्ड मैडल हुए हैं, यह आगे सत्तर हों, फिर सात सौ हो जाएं।

The House is adjourned for lunch till 2 O' clock.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, [The Vice-Chairman (Shri John F. Fernandes) in the Chair.]

THE MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILL, 1997

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Now we will take up the Motion for consideration of the Marriage Law Amendment Bill, 1997.

SHRI JOYANTA ROY (West Bengal): Sir, what about my Special mention?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES) : There is no list before me. *(Interruptions)* Which one? *(Interruptions)*. We finished it. *(Interruptions)* We will take it up later on because this Motion is listed in the Government Business.

SHRI JOYANTA ROY: Will you take it up just after this?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): There are four Bills, then we have Short Duration Discussion. If time permits, we will take it up. *(Interruptions)*

SHRI JOYANTA ROY: Sir, will you take it up tomorrow?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We will see later on. We have this Business now. *(Interruptions)*.

SHRI JOYANTA ROY: For the last seven...*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): We will take it up; if not today, then tomorrow or day after tomorrow. We have two more working days. Now Mr. Minister.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 be taken into consideration."

Sir, As the Hon'ble Members are aware, the Hindu Marriage Act, 1955, primarily deals with the conditions for solemnisation of a marriage and the remedies available to estranged couples. While enacting the Act, care had been taken to see that the legislation remains in constant touch with the spirit of modernisation and social justice. With the changing patterns of society from time to time, there have been persistent demands for the modification of the marriage laws. In 1976, the provisions relating to the conditions for the solemnisation of a marriage and the annulment of the marrriage had been liberalised on the recommendations of the law Commission contained in its Fifty-ninth Report.

Before such liberalisation in 1976, one of the necessary conditions for solemnisation of a marriage had been that at the time of marriage neither of the parties to the marriage shall be an idiot or a lunatic.

However, the words "idiot or lunatic" were not defined in the Act and, as such, the position presented difficulties of interpretation for reckoining different degrees of lunacy. By the Marriage Laws (Amendment) Act, 1976, the position had been made clear' but, however, antother provision had been incorporated there is *vide* section 5 (ii) (c). This is based on the english law that at the time of marriage the party should not also be subject to recurring attacks of insanity or epilepsy. A similar provision had been made in the Special Marriage Act, 1954 *vide* section 4(b) (iii). Further, it had also been provided that on that ground a marriage can be annulled by a decree of nullity. Under the Special Marriage Act, 1954, a marriage could also be declared as null and void on that ground. The Law Commission in its Report did not give any reasons for the inclusion of the word "epilepsy" in the relevant provision along with "insanity". They had recommended that a provision may be included on the lines of the English Law. As English law provided for epilepsy also, the same had been incorporated in the relevant provisions of our laws.

Ever since the amendment had been made in 1976, medical experts and jurists have been representing to the Government that the disease 'epilepsy' should not be equated with 'insanity' and it would do great injustice to several parients suffering from epilepsy since that disease is now fairly well controllable in a majority of cases and therefore should not, under any circumstances, be equated with insantity. Eminent Neuro-Surgeons like Dr. B. Ramamurti and Dr. E.P. Bharucha, who are associated with the Indian Epilepsy Association have submitted to the Government that 'epilepsy' as a ground for nullity of marriage is based on false assumption and the law equating epilepsy with insanity makes the position grosslyiniquitous, especially for women. Eminent jurists have also strongly recommended that the word 'epilepsy' should be omitted from the matrimonial legislations.

Expert medical opinion received by the Government on the subject indicates the points which I am going to state:—

(i) a person with epilepsy when he/she is not having an epileptic fit, is like any other normal person and can perform physical and mental functions normally.

(ii) Over 80 per cent. of the "persons with Epilepsy" can be treated successfully with the drugs available at present. Management of other cases can also be improved substantially with drugs and, in some cases, with surgical help.

(iii) There is no evidence to suggest the Epilepsy is a hereditary disease. Many persons with Epilepsy are known to have normal children. On the other hand, an epileptic child may be born to the normal parents.

(iv) when controlled with available medicines, persons with Epilepsy can lead normal family life and can engage themselves in normal day-to-day household as well as other activities.

As the subject matter falls under the Concurrent List in the Seventh Schedule to the Consititution of India, government considered it appropriate to consult various State Governments and Union territory Administrations before any Parliamentary legislation to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 to remove references to 'epilepsy' therein are removed. Majority of the State Government which have responded to have favoured the amendment. The Government had also consulted the Women's Organisations and the national Commission for Women. They have favoured the proposed amendments.

In view of this position, the Marriage Laws (Amendment) Bill, 1997 was introduced in this August House on the

13th August, 1997. The Bill was referred to the Department relating Standing Committee on Home Affairs. The Committee took evidence of medical experts and others. The Committee in its 47th Report presented to the House, has also recommended that the Bill as introduced in Rajya Sabha and reported by it, be passed.

In order to allay the apprehension as to whether 'epilepsy' is fully curable, I may point out here that the medical experts are of the view that though epilepsy cannot be stated to be fully curable, yet it is fairly well controllable to the extant of 80 per cent of the cases.

As the proposed legislative measure is a positive legislation to bring justice to those suffering from epilepsy in matrimonial matters, I fervently hope that this August House will unanimously support the same. I commend the Bill for the consideration of this August House an I am sure that the Bill will receive support from the all quarters.

The question was proposed.

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Sir, the details of the Statement of Objects and Reasons of the Bill make it clear that this is not the recommendation of the Law Commission of India. The recommendation of the Law Commission of India was regarding 'insanity', not 'epilepsy'. The hon. Minister, in his statement, has stated that some jurists, doctors and some other organisations had represented. Therefore, the word epilepsy is also removed.

Sir, the hon. Minister has just now said that epilepsy is not compeltely curable. It can be cured to the extent of 80 per cent. 20 per cent is not curable. Sir, I also discussed with neurologists. They also say that it is very difficult to cure epilepsy.

Sir, the words, which are used here, are 'subject to recurrent attacks of epilepsy'. It is not a stray and occasional attack, but 'subject to the recurrent attacks of epilepsy', that is to be removed.

But, Sir, the question is that the amendment applies both to the husband and to the wife. Now-a-days, a lot of women have been joining the work force. Some are going to service, and they have also to take care of children and the household. The question is, if the wife goes to her office, her husband, who gets recurrent attacks of epilepsy, is left behind. The question before her is: should she attend to her job or to her husband? I know, in epilepsy there are cases where the man becomes violent. There are cases where he will chew his own tongue, as a result of which there will be a profuse bleeding. There are cases when he forgets everything for four to five hours. He is given a sleeping pill to sleep. And he regains his consciousness the next morning. In that case what will happen to the wife? It will be very diffcicult for her to attend to the job and side-by-side take care of husband. The best course for the Government would have been to leave this question to the discretion of the court. The court's discretion is always wise. Courts do not take a haphazard view in matrimonial cases. They know they are treating the family. Therefore, it should be in the best judgment of the court whether it is a case for annulty or not. Just be removing these words, I believe the interests, particularly of the wives, whose husbands are patients of recurring attacks of epilepsy, will suffer. That is what I feel. When the Law Commission has not recommended, I believe, it would have been in the best interest of the parties that the courts dealing with the case have the entire discretion. So, it should have been left to

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत छोटा है, इस पर अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है और मैं इसका समर्थन करूंगा लेकिन समर्थन करने से पहले मुझे कुछ बातें कहनी हैं। 1976 में जो संशोधन हुआ था उसमें विधि आयोग की 59वीं आख्या में यह सिफारिश की थी कि पागलपन की मात्रा के बारे में जो शंकाएं हैं, उनको दूर किया जाए। मिर्गी को पागलपन के समान करार दे दिया गया जो कि बराबर चला आ रहा है।

महोदय, आप जानते हैं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 इन दोनों में मुख्य रूप से दो ही बातें हैं—हिन्दुओं के विवाह और विवाह विच्छेदन। विवाह अगर होगा तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिएं—विवाह सफल हो और पति-पत्नी सुखी रहें और अगर विवाह विच्छेदन हो तो क्या शर्तें होनी चाहिएं। परम्पराओं से समाज में जो मान्यताएं थी वे चलन में चली आ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं—मिर्गी का अगर उनको पहले ही पता लग जाए तो शादी नहीं करेंगे। मिर्गी का रोग ऐसा है जिसका इलाज हो सकता है, भले ही इस रोग को पागलपन करार दे दिया हो। मगर शादी के फेरों के बीच में वर या वधु में से किसी को मिर्गी आ गई, मेरा निश्चित मत है कि दोनों में से कोई शादी नहीं करेगा, इन्कार कर देगा। इसलिए अकेले इस बात को कहकर कि मिर्गी एक इलाज योग्य बीमारी है और इसको हम इस शर्त से निकाल दें कि इसके कारण शादी नहीं टूटेगी, यह सही नहीं होगा। जब तक कि इस प्रकार का कोई निर्देश, लड़का-लड़की जो पक्ष शादी के लिए होते हैं उनको संरक्षकों पर बाध्य न हो कि अगर लड़का-लड़की को मिर्गी आती है तो विवाह तय होने से पहले इस तथ्य को उजागर करना होगा। अगर यह तथ्य विवाह होने से पहले ही उजागर कर दे और उसके बाद लड़का लड़की शादी के लिए राजी होते हैं तब तो यह शर्त विवाह विच्छेदन न होने के लिए ठीक रहेगी, कारगर रहेगी। अगर इस तथ्य को छिपाया गया या लड़का-लड़की को नहीं बताया गया तो उसके बाद भी अगर मिर्गी किसी को भी आ गई तो विवाह विच्छेदन जरूर होगा, जैसा मेरे लायक दोस्त ने कहा-कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसका समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं कि गृह मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने एक मत से राय दी है कि पागलपन की परिभाषा से मिर्गी को हटा देना चाहिए और विवाह विच्छेदन के लिए यह एक शर्त नहीं होनी चाहिए। मैं समर्थन तो इसलिए कर रहा हूं कि उस समिति में सभी दलों के विद्वान सदस्य थे। लेकिन मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि मैं एक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हूं, मिर्गी वाला व्यक्ति आग और पानी के सामने अगर बड़ी देर तक बैठा रहे तो मिर्गी आना बहुत ही स्वाभाविक है। अगर मिर्गी आग और पानी के सामने आ गई तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है।

महोदय, इस समय हम हिन्दू-विवाह पर चर्चा कर रहे हैं। विवाह चाहे किसी भी धर्म का को, विवाह केवल होना ही नहीं चाहिए, विवाहित जीवन सुखी भी रहना चाहिए। विवाहित जीवन सुखी कब रहेगा? जब पति-पत्नी को एक दूसरे के बारे में किसी भी प्रकार की शंका और गुरेज न हो। हम यह देखते हैं कि मिर्गी तो बहुत बड़ी चीज है, दहेज के अभाव में पत्नियों को जिंदा जलाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, विवाहित जीवन सुखी नहीं रह सकता। हम पांचवीं बार इस छोटे से विधेयक को संशोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले चार संशोधन और हो चुके हैं। क्या इसमें और संशोधन आवश्यक नहीं थे? ज्यादा अच्छा होता अगर एक कंप्रिहैंसिव बिल और संशोधनों के साथ विधि, न्याय मंत्री इस समय लाते और इसमें यह शर्त भी जोड़ी जाती कि माता-पिता को ये बाध्य होगा, दोनों तरफ के पक्षों को कि वह मिर्गी की बीमारी यदि किसी भी एक पक्षों को है, विवाह होने से पहले उजागर करेंगे। उसमें यह भी शर्त हो कि शादी में किसी भी प्रकार के दहेज का डिमान्स्ट्रेशन नहीं होगा। आज एक प्रथा और बन गई है। प्रथा यह बन गई है कि जिनके पास दहेज देने को होता है वह तो चुपचाप दे आते हैं लेकिन बकायदा नुमाइश लगाई जाती है दहेज की और शादी के समय नुमाइश जो लगाई जाती है, उसका कुप्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है वह दहेज दिखा कर के दे रहा है लेकिन उसी परिवार का भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, अगर गरीब है और उस की हैसियत दहेज देने की नहीं है तो उसकी सुशिक्षित, सुशील और सुंदर पुत्री को भी योग्य और अच्छा वर नहीं मिलेगा और वह हीन भावना से पीड़ित रहेगा। मान्यवर, मैं इस बात को कहते हुए आगे चल कर मंत्री जी इस प्रकार का संशोधन और लाएं कि हिन्दुओं का विवाह होने के बाद दोनों पक्ष सुखी रहे और विवाह कभी टूटे नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Hindu Marriage Law is a complex subject and so much of emotions, traditions and legal niceties are involved that one can easily speak for hours and succeed in making the issue even more complicated than it is today. There was a time when we thought that Hindu marriages were indissoluble. They could not be changed or annulled and no divorce was permitted. But traditions, customs and religion change with time. They adjust with new perceptions, new experiences, and it came to be realised

that there can be circumstances when marriages need to be declared void, as in the case of lunacy. That does not mean that one has to rush for divorce or annulment at the slightest, flimsiest ground, like she does not cook well or he snores. It should not be done on issues like this. It is only when it becomes impossible to reconcile with the irreconcilable, when it is impossible to adjust with the unadjustable that one can go in for divorce and it should be permitted. Similarly, those marriages which should not have taken place at all under the circumstances mentioned in section 5 of the Hindu Marriage Act, should be annulled. The Hindu Marriage Act describes epilepsy as one of the compelling circumstances for seeking an annulment. But epilepsy, as we know, is curable and the medical opinion tendered before the Standing Committee is that this can be cured in 80 per cent of the cases. I have two points to make. First, if someone is seeking divorce or annulment of marriage on the ground of epilepsy, there is a possibility that Patients with epilepsy will never be cured. Secondly, I believe that one partner must help the other partner to get cured of the epileptical attack. If they do not stand by each other in times of illness and distress happiness and sorrow, then what is the value of marriage? I entirely agree with Shri Sangh Priya Gautam. He has made two points. The first point was, if one has epilepsy, it should be made known to the other party before marriage. I also agree with the second point which has been made by him. In fact, I was going to make that point. A comprehensive Bill should have come instead of a small amendment to the Act. He has referred to the dowry deaths. I would like to refer to child marriage. They are taking place in large numbers in our country. There are various reasons for this. I am not asking for an annulment of marriage because there are complicated social consequences. The girl is bound to suffer because it is unlikely that she will get an opportunity to marry again. What I suggest that the punishment for the violation of the Hindu Marriage laws regarding Child Marriage should be more stringent not for the boy or the girl but for the parents, guardians, whoever is involved in the marriage. The question of restoration of congugal rights also has to be debated. So, I suggest that a comprehensive Bill be brought before the House by the Ministry. But since the Standing Committee has approved this Bill, I support it. So, I request that the word epilepsy should be deleted from section 5 of the Hindu Marriage Act and also from the Special Marriage Act.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक 7 अगस्त 1997 को जो उस समय के विधि मंत्री थे श्री रमाकांत खलपजी, वे लाए थे। किसी कारणवश वह उस समय पास नहीं हो पाया था। अब मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इस विधेयक को ले आए हैं।

हमारे पूर्वतन वक्ताओं ने दलील दी कि इपीलेप्सी जिसको हिंदी में मिर्गी कहते हैं, यह ऐसा रोग है कि कब किसको हो जाएगा यह कहना मुश्किल है। आग और पानी के पास हो गया तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए मिर्गी का रोग अगर किसी को हो तो शादी के पहले बता देना चाहिए ताकि फिर शादी के बाद गड़बड़ी न हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर। आजकल चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि मिर्गी का रोग अब असाध्य रोग नहीं रहा है। यह चिकित्सा योग्य है। चिकित्सा के द्वारा, इलाज के द्वारा इस रोग का शमन होता है। लोग अच्छे हो जाते हैं। यह मैंने कई लोगों में देखा भी है।

यह बहुत ही उचित बात है कि इन्सैनिटी और इपीलेप्सी दोनों को एक साथ जोड़कर बात नहीं की गयी है। इनको अलग-अलग किया गया है और इपीलेप्सी को समाप्त करने की बात की जा रही है फ्राम द स्पेशल मैरिज एक्ट 1994-95 एण्ड सेक्शन 5 आफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1995 एण्ड सेक्शन 4 आफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, 1955 । इसमें से हटाने की बात हो रही है। इसको, मैरिज ला अमेंडमेंट एक्ट, 1976 जो अमेंड हुआ था उससे भी हटाने की बात हो रही है और अभी ये यह अमेंडमेंट लाए हैं।

दलील दी गयी है कई तरह के रोगों की कि अगर पति काम करने जाता है या पत्नी काम करने जाती है और अगर पति बीमार हो गया, अकेला रहा तो क्या

होगा। अगर मिर्गी हो गयी तो क्या होगा उनको। शिशु मैरिज और कई तरह की बातें कही गयीं। शादी-विवाह जो होता है इसकी सामाजिक प्रतिबद्धता होती है। दिस इज ए सोशल सैक्शन। सोशल सैक्शन होने के नाते केवल पति पत्नी की ही नहीं, पूरे परिवार, पूरे समाज की एक दूसरे के साथ खड़ा होने की बात होती है इसमें। हमने देखा है कई जगह कि जिनकी शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की भी शादी होती है जैसे मैंटली रिटारडेड लोग हैं। बात समझते नहीं है लेकिन शादी हो गयी। आधा पागल है लेकिन शादी हो गयी। धनी-मानी लोग हैं, उनके बेटे या बेटियों की इस तरह से शादी कर दी जाती है। अपंग है, चल नहीं सकते लेकिन उनकी भी शादी हो जाती है। बाद में उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। वैवाहिक जीवन को हमारे समाज में खासकर हिंदू समाज में एक आवश्यक अंग माना जाता है इसलिए इस तरह से लोग शादियां कर देते हैं। जिस दिन हमारी मानसिकता बदल जाएगी और हम यह मान लेंगे कि लड़का हो या लड़की बिना शादी के भी रह सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तो शायद यह मानसिकता बदल सकती है। लेकिन वह तो बाद की बात है। आज की बात है कि यह अमेंडमेंट ले आए हैं कि इपीलेप्सी को स्पेशल हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट, 1997 में जो धारा थी जिसमें ल्यूनेसी और इपीलेप्सी दोनों एक साथ थे इनको इक्वेट किया हुआ था उसमें संशोधन करके इपीलेप्सी को हटाने की बात है। यह अच्छी बात है। यह होना ही चाहिए। मैं इसका समर्थन करती हूं।

PROF. M. SANKARALINGAM (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, this amendment seeks to delete epilepsy from the list of causes for getting a marriage null and void. The reason for this amendment is that epilepsy is a curable disease, according to medical experts and the Law Commission. According to our personal experience also, epilepsy is cause due to tension and worry on the side of the bridegroom or the bridegrooms relatives.

According to the Hindu customary law, we teach our girls to live with their husbands and respect their husbands. We also teach them that if they harass you, you bear the harassment. But sometimes they are not able to bear the harassment. Harassment is also one of the causes for epilepsy at many places. I have seen in many places that before marriage, girls do not suffer from epilepsy. But after the marriage, due to various reasons, due to harassment from the husband's family, mother-in-law or sister-in-law, girls live in tension. When a girl comes to her parent's house and says that these things are happening, the parents only say, "You bear it". This is the system in which we are living. In 80 per cent of the cases, epilepsy comes due to harassment and worries. moreover, doctors and the medical experts have said that epilepsy can be cured. It is a wise decision to remove this condition from the Hindu Marriage Act. I welcome the measure. These days we are discussing about the woman-folk to come up to our standards. The Hindu society is a patriarchal society. In this society such people have to be protected. Therefore, I support this Bill.

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion. Epilepsy is of different degrees. It has not been possible for the statute to define what exactly should be the degree of illness which would attract Section 5 to be operative. In fact, in courts, we have been experiencing a lot of difficulty to find out whether epilepsy of an incurable level is in existence in either of the spouse to bring the matter under Section 5 of the Act. Whatever be the reason for epilepsy, it is difficult to say that epilepsy, can be a ground really to nullify a marriage. Section 5 gives some conditions which must exist for a valid marriage. Therefore, the scheme of the statute is that a marriage can be annulled on the ground that either of the spouses was suffering from epilepsy at the time of marriage. Epilepsy has not been mostly curable. The occasion where epilepsy is relied upon as a ground for annulling marriage is very rare. In these circumstances, I agree with the recommendation, that epilepsy should be taken out from Section 5.

Sir, I would like to recall for your consideration what George Eliot wrote in Silas Marner. Silas' as a child been living away from her father. When she grew up into a nice girl, her father wanted the girl to return home. The father went to the person under whose care his daughter was growing and asked his daughter be returned. The foster father said, "You go and ask Silas. If she has no objection, you may take her". When the father asked the girl, "You are my daughter, why don't you come back", she said, "It is not money lent for interest, that when the loan with interest is paid off the viability vanishes". Therefore, when a man and woman live together, a relationship grows and this intimate, according to the Hindu law, has been developed to a level said to be divine and is said to be inseparable. I agree with Shrimati Bharati Ray that if one of the spouse gets ill and the other is available, it works out as a protection and ensuing attention for treatment. I commend to the House that this amendment be accepted.

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह विधेयक सदन में पेश किया।

महोदय, यह बात सही है कि उन्मत्तता और मिरगी में काफी अंतर है। दोनों की तुलना करना अन्याय होगा, यह बिल के उद्देश्य और कारणों में बताया गया है। महोदय, आज चिकित्सा जगह में इतने अन्वेषण हो चुके हैं कि हर ला-इलाज रोग का भी निदान हो रहा है। इसी कारण लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश भी की थी क्योंकि यह देखने में आया है कि पति या पत्नी, दोनों में से अगर किसी को एक-दूसरे से पिंड छुड़ाना है तो वह हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम की धाराओं के उपबंधों का आधार लेकर अदालतों में एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। महोदय, एक वकील के नाते मैं ने अनुभव किया है कि चाहे बीमारी कुछ भी नहीं हो लेकिन विवाह विच्छेद करना है तो आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए कि यह पागल है या इस को मिरगी आती है। उस के लिए एक पक्ष ने एक डॉक्टर जबलपुर से बुलाया और दूसरे पक्ष ने दिल्ली से बुला लिया। इस तरह से वर्षों यह विवाद चलता रहता है और अंत में दोनों को कुछ नहीं मिलता है। कुछ मामलों में समझौता भी हो जाता है मगर इस से वैवाहिक जीवन काफी क्षत-विक्षत हो जाता है। विशेषकर जब बच्चे हों तो वह मां-बाप के प्यार से वंचित हो जाते हैं। यह उन का सब से बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम में भी बताया गया है हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है और अग्नि के समक्ष फेरे लेने की जो सप्त-पदी की प्रथा है, उस में माना गया है कि पति-पत्नी का संबंध जन्म-जन्मांतर का रहता है, लेकिन आधुनिक जीवन-शैली में समाज में लोग सिनेमा से, पत्र-पत्रिकाओं से और विदेशों की नकल कर दूसरा सहचर बनाने की आड़ में पहला विवाह विच्छेद कर देना चाहते हैं। इस विधेयक की धाराओं से उस में कमी आएगी। इस विच्छेद में प्रकृति की भी मार लोगों पर पड़ती है। लोग जब अदालतों में जाकर एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो उस में स्वयं भी मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं और वहां कुछ मिलता भी नहीं है।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि यह संशोधन बहुत पहले आना चाहिए था। मैं संघ प्रिय गौतम जी की इस बात से सहमत हूं कि चाहे हिंदू मैरेज हो, स्पेशल मैरेज हो, क्रिश्चियन मैरेज हो—इन में अनेक खामियां हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संबंध में एक कांप्रेहेंसिव बिल लाया जाए ताकि ये खामियां दूर हो सकें। इस के साथ ही मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mr. R. Margabandu, your party's time is just one minute. You can complete it in two minutes.

SHRI R. MARGABANDU (TAMIL NADU): Sir, the Hindu Marriage Act of 1955 has been amended thrice. The first amendment was Act 68 of 1976, then of 1.10.1978, and this is the third amendment. Section 5(ii)(c) is the amendment introduced under Act 68 of 1976. Epilepsy which is a disqualification for marriage was not originally in the statutes, but it was introduced only in 1976 amendment. My respectful submission is, the Hindu Marriage act has undergone several amendments since 1955. It is a right decision by the Government to remove epilepsy from being a ground to invalidate a marriage because it has been proved medically that it is a curable

disease. My only submission in this case is, while removing this disqualification of epilepsy, it should be given restrospective effect from 1955 onwards. Whichever marriage was contracted from 1976 can be nullified under section 12 of the Hindu Marriage Act, and whichever cases are pending before the court should be given retrospective effect. So, all those cases will have to be disposed of. In this way, it is a very important amendment. I am insisting that this provision should be given retrospective effect.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक संशोधन है विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 के माध्यम से, जिसके द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के खंड (2) के उपखंड (ग) में मिरगी शब्द का लोप करना है और उसी तरह यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 के खंड (ख) के उपखंड (3) में गिरगी शब्द का लोप करना है। महोदय, यह जो मिरगी की बीमारी है, यह ईलाज के जरिए दूर हो जाती है। इसलिए यह जो संशोधन आया है, हम समझते हैं कि यह आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है कि शादी के बाद भी यह रोग किसी को, दोनों पक्ष में से किसी को, पति को या पत्नी को, दोनों में से किसी को, यह रोग मिरगी का हो सकता है, ऐसी स्थिति में शादी अगर नल एंड वायड हो जाय, रद्द हो जाए तो वह उचित नहीं है। विवाह एक कांट्रेक्ट है, लेकिन परंपरा के मुताबिक भी वह एक लौंग लाइफ कांट्रेक्ट है, आजीवन का संबंध है, एक दूसरे के बंधन में बंधने का संबंध है और मानवीय भावना से और मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर सुख में दोनों साथ रहे हैं और अब अगर दोनों में से किसी एक को ऐसी बीमारी हो जाती है, जो इलाज योग्य है और फिर भी संबंध विच्छेद हो जाय तो यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से भी इस शब्द को विलोपित करने का जो यह बिल आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, शुरू में हमारे गौतम जी ने कहा कि अगर शुरू में कोई बीमारी छिपा कर विवाह करता है तो, शुरू में अगर छिपा कर करता है तो वही गलत करता है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन शादी के बाद अगर यह बीमारी हो जाती है, 35 साल में या 40 साल में या पचास साल में हो जाती है और डाक्टरों का यह कहना है कि तीन-चार साल तक इलाज चलाने से यह बीमारी समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं, इस मिरगी शब्द को विलोपित कर देना ज्यादा उचित है ताकि इस बिना पर कोई विवाह विच्छेद न हो। इस दृष्टिकोण से यह जो बिल लाया गया है, वह उचित है और मैं इसका समर्थन करता हूं। अब यहां तक कंप्रेहेन्सिव बिल लाने का है या और भी बहुत तरह की बातें होती हैं, तो कुल मिलाकर अगर सरकार कोई कंप्रेहेन्सिव बिल लाती है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मात्र यह तो मिरगी के लिए है और मैं समझता हूं कि इस शब्द को विलोपित किया जाना चाहिए। मैं इस संशोधन के साथ हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन देर से लाया गया लेकिन यह एक बहुत ही सही कदम है क्योंकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में जो पागलपन और मिरगी को एकसमान दर्जा दे दिया गया था, उसके कारण मिरगी के मरीजों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था क्योंकि मिरगी आज के युग में संपूर्ण रूप से उपचार योग्य बीमारी है और इस बीमारी को परिवार के विघटन का कारण या किसी के डाइवोर्स का कारण या किसी भी शादी को नल करने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। मिरगी से पीड़ित व्यक्ति अविवाहित जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए या विवश हो, यह अपने आप में बहुत दुःखद है क्योंकि मिरगी के दौरे पड़ने का मुख्य कारण होता है तनाव और अगर किसी व्यक्ति को यह अंदेशा हो जाए कि उसे विवाह करने का या पारिवारिक जीवन बिताने का कोई अवसर नहीं मिल सकता है तो वह तनाव उसकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देता है और उसे विक्षिप्त बना देता है और उसकी बीमारी का रूप और गंभीर हो जाता है।

महोदय, मिरगी का आज के युग में पूरा इलाज है। कहा जाता है कि 3 साल तक लगातार इलाज करने के बाद मिरगी के दौरे बंद हो जाते हैं और आदमी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। मैंने भी ऐसे बहुत से मरीजों को देखा है जो बैंक में सर्विस भी कर रहे हैं, अपना पारिवारिक जीवन भी बिता रहे हैं और साथ ही साथ अपने रोग का इलाज भी करवा रहे हैं। इसलिए जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से इसको लोप करने की बात कही गई है, वह सही है और विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4 में विलोप करने की बात कही गई है, वह सही है।

महोदय, इस बारे में संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है, उससे मैं थोड़ा भ्रमित हो गई हूं क्योंकि इसमें कहा गया है कि 80 परसेंट मिरगी के रोग का इलाज संभव है और यह पूर्णतया उपचार योग्य है। तो मैं मंत्री जी से यह

कहना चाहती हूं कि यह जो 20 प्रतिशत मिरगी के मरीज हैं, वे भी इसका सहारा लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और उसका नुकसान पारिवारिक जीवन को उठाना पड़ेगा। इस रोग के ये जो 20 प्रतिशत मरीज हैं, क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि इनको किस प्रकार से डील किया जाएगा। यह स्पष्ट होना कि ऐसे 80 प्रतिशत मरीज जिनका पूर्णतया उपचार हो गया है, वे विवाह योग्य हैं और जिनका उपचार संभव नहीं है, उनके लिए अलग धारा होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी सुझाव है कि मिरगी के जो भी मरीज हैं, शादि से पहले उन्हें इस बात को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। दोनों पक्षों को पता होना चाहिए कि फ्लां व्यक्ति मिरगी का मरीज है। अगर वे चाहें तो विवाह कर लें, न चाहें तो छोड़ दें क्योंकि शादी के समय जैसे कई बातें ध्यान में रखी जाती हैं, उसी तरह से मिरगी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए लेकिन मिरगी को लेकर पारिवारिक जीवन का विघटन हो जाए और डाईवोर्स हो जाए या शादी को शून्य माना जाए, यह बहुत अन्याय की बात है।

महोदय, मैं भी अन्य माननीय सदस्यों की तरह निवेदन करना चाहूंगी कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस विधेयक में उन 20 प्रतिशत मरीजों की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए एक विस्तृत विधेयक आना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार से इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के साथ कानून व्यवहार करेगा क्योंकि मिरगी ऐसी बीमारी है जिसमें पुरुष को तो बहुत नुकसान नहीं होता है लेकिन महिलाओं को अगर किसी प्रकार का भी दौरा आता है और अगर पति की अपनी पत्नी को अगर छोड़ने की मंशा है तो साधारण से दौर को भी वह मिरगी की बीमारी कहकर पत्नी को घर से निकाल सकता है या शादी के लिए मना कर सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर बहुत विस्तृत रूप से विचार होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इस बिल को पास करने की जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कदम उठा लें जो पुरुषों के लिए शायद दुःखदाई न हो लेकिन महिलाओं के लिए दुःखदाई हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मिरगी के मरीजों के साथ इतना क्रूर व्यवहार न किया जाए, यह हृदयहीनता होगी और अन्याय होगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाए और इस बारे में एक विस्तृत बिल लाया जाए जिसमें हर बात पर विचार किया जाए। फिर भी मैं इस कदम का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं और मेरी राय है कि इस पर विस्तृत रूप से विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): श्रीमान्, यह जो संशोधन विधेयक आया है इसके पीछे की मंशा जो है वह मंशा यह है कि हिन्दू मैरिज एक्ट के अन्दर दो तरह का दायित्व है। एक दायित्व यह है कि शादी करने वाला व्यक्ति शादी की जो हमारी एक सामाजिक बंधन है उसको समझने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है और दुर्भाग्यवश इसके नाम पर पागलपन के साथ में ऐपिलेप्सि को जोड़ करके और यह बताने का प्रयास किया गया था कि वह जो मंशा थी—हिन्दू मैरिज एक्ट की वहां इस ऐपिलेप्सि को इसके साथ में जोड़ने से उस मंशा का दुरुपयोग कई स्थानों पर होने लग गया था और दूसरा हिन्दू मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रावधान था उसमें यह था कि अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने की क्षमता उसमें है या नहीं है। यह जो अयोग्यताएं हैं, इसलिए रखी गई थी कि जहां दाम्पत्य जीवन का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं हो सके और इसलिए ऐपिलेप्सि के कारण से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय के अंदर और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐपिलेप्सि एक ऐसा रोग है जिसका निदान हो सकता है, यह कोई कंटीन्यूइंग डिसीज नहीं है, इसके दौरे कभी-कभी किसी को पड़ सकते हैं और इन दोनों का ठीक प्रकार से शादी की जो व्यवहारिकता है, शादी का जो बंधन है उसको समझने की क्षमता भी है, बच्चे उत्पन्न होने के बाद बच्चों का निर्वहन करने की भी उसमें क्षमता होती है। इसलिए मेरा एक निवेदन करना यह था कि ऐपिलेप्सि का धारा 5 के अंदर जो प्रावधान था वह पूर्णतया अव्यवहारिक था इसलिए उसको हटाने का जो प्रावधान आया उसका मैं स्वागत करता हूं। उसके कारण से बहुत से मुकदमे अदालतों के अंदर आज विचाराधीन होंगे उसमें निश्चित रूप से इसमें न्याय हो सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद महोदय। हिन्दू विवाह एक अलिखित संविदा होता है जिसके अंदर लड़के-लड़की के माता-पिता इनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और उनके सुख का ध्यान रखते हुए शादी करते हैं और दोनों को एक सूत्र में पिरोकर के दुख-सुख का साथी बनाते हैं, भागीदारी बनाया जाता है। अतः मिरगी रोग हो जाने के कारण बाद में तलाक की स्थिति अच्छी बात नहीं है इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि आज मिरगी से भी ज्यादा भयंकर बीमारी जो दहेज प्रथा की चल रही है। उसमें बहुत सारी देवियों को दहन किया जा रहा है। यह गंभीर समस्या

देश में पैदा होती जा रही है। मैं इस सदन के माध्यम से उसके उन्मूलन की मांग करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): Mrs. Patel, you were absent ...*(Interruptions)*... Do you want to speak on this Bill? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL (Gujarat): Sir, most of my points have been covered by Mr. Brahmakumar Bhatt. So, I do not want to repeat them. ...*(Interruptions)*...

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। यों तो विवाह हो जाने के बाद किसी आधार पर वैवाहिक संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम से कम हिन्दू धर्म में जो अग्नि के 7 फेरे लगाए जाते हैं पति-पत्नी के वस्त्रों को जोड़ करके और उसमें यह प्रतिज्ञा की जाती है कि जीवनपर्यंत दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे और यही होना चाहिए। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण जरूर होते हैं जिसमें पति-पत्नी के संबंध खराब होते हैं और दूसरे कारण भी बनते हैं। ऐसी स्थिति में डॉयवर्स का, तलाक का प्रावधान किया गया है और उसमें मिरगी को भी जोड़ दिया गया था। अब माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे उपसभाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि इस संशोधन से बहुत से लोगों का कल्याण होगा क्योंकि जो मिरगी रोग है वह तलाक के लिए कोई आधार नहीं बनता और यह रोग भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें निदान नहीं हो सके, जिसकी चिकित्सा नहीं हो सके और जिससे वह व्यक्ति स्वस्थ न हो सके। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जिसके द्वारा मिरगी शब्द को कानून से निकाला जा रहा है, का समर्थन कर रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M. THAMBI DURAI: Sir, I am happy that thirteen hon. Members have participated in the debate and had given their valuable suggestions about the removal of 'epilepsy' from the Act. I need not once again, emphasize the importance of marriage, what is happening in real life, how couples are suffering, etc., because everybody knows it. After marriage, now-a-days, some people are finding some reason or the other to seek divorce. Sometimes, they are taking epilepsy as one of the reasons for giving divorce. Sometimes, to define this is also difficult. But, sometimes, on flimsy grounds, treating this as a disease, people try to get divorce. Therefore, many people are suffering because of this provision in the Act. Shri Margabandhu mentioned that a lot of cases are pending since 1976. Our friend, Shri Brahmakumar Bhatt, also spoke about it. Of course, he has got his own reservation about the disease. He said that it affects many people in their married life and they may not lead a happy life. Sir, Shri Sangh Priya Gautam also spoke about it, but, at the same time, he welcomed this amendment. Other hon. Members, Prof. (Shrimati) Bharati Ray, Shrimati Kamla Sinha, Prof. M. Sankaralingam, hon. former Chief Justice of India, Shri Ranganath Misra, Shri Margabandu, Shri Ansari, Shrimati Saroj Dubey, Shri Lakhawat, Shri Gandhi Azad, Shri Ish Dutt Yadav and other Members have expressed their own apprehensions, but they supported the Bill. At the same time, they have suggested to bring forward a comprehensive Bill with regard to Hindu marriage. I want to assure the House that if the hon. Members feel that there is a need to bring forward such a legislation, the Government will consider their request. Whenever there is a request from hon. Members, definitely, we will bring forward a comprehensive Bill, as per the suggestions given by hon. Members. Shri Margabandu has raised a doubt as to what will happen to the pending cases if we remove this 'epilepsy.' At this stage, I can only assure that if at all there is any necessity to amend the Act to drop those cases, we will consider it. That is all I can say. When the doctors and the experts have said that it is a curable disease, we have to act on that line. Hon. Shrimati Saroj Dubey has raised the point as to what will happen to the 20 per cent of the cases, if only 80 per cent of the cases are curable? In regard to any disease, when people are facing certain handicaps in facing the disease, we cannot gurantee that all the people will be cured. Majority of the cases—more than 80 per cent—are

curable means; we have to see that they do not suffer in their matrial life. After their marriage, they should not go in for divorce.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) IN THE CHAIR]

Therefore, in order to save, especially, the life of women—the women are more affected because males take this as an issue—we are bringing in this legislation. Therefore, I once again request the hon. Members to support this Bill and pass this unanimously.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The question is:

"That the Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955 and the Special Marriage Act, 1954 be taken into consideration."

The Motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): On clause 1, there is one amendment by the hon. Minister.

CLAUSE 1

SHRI M. THAMBI DURAI: Sir, I move:

That at page 1, line 3, *for* the figure "1997", the figure "1998" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): On Enacting Formula, there is one amendment by the Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI M. THAMBI DURAI: Sir, I move:

That at page 1, line 1 *for* the word "Forty-eighth", the word "Forty-ninth" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI M. THAMBI DURAI: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE INDIAN MAJORITY (AMENDMENT) BILL, 1997

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Majority Act, 1875 be taken into consideration."

As the Hon'ble Members are aware, the Indian Majority Act, 1875 contains the general law respecting the age of majority in India. The general age for attaining the age of majority is eighteen years. However, there are certain exceptions. One of the exceptions is contained in section 3 of the Act. For the convenience of the Hon'ble Members I would like to read out section 3 of the Act:

"Age of Majority of persons domiciled in India.—Subject as aforesaid every minor of whose person or property or both, a guardian, other than a guardian for a suit within the meaning of Chapter XXXI of the Code of Civil Procedure, has been or shall be appointed or declared by any Court of Justice before the minor has attained the age of eighteen years, and every minor of whose property the superintendence has been or shall be assumed by any Court or Wards before the minor has attained that age, shall notwithstanding anything contained in the Indian Succession Act or